जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/67 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | रविवार, 25 अप्रैल 2021

भाग-2

पवन अरोड़ा साहब... जवाब दीजिये किस PRO के रिश्तेदार का है, यह अवैध काम्प्लेक्स??

अवैध निर्माण हटाने के लिए ज.डी.ए. की तर्ज पर आपने जो भाड़ पर पुलिस ली है,कहाँ है वह पुलिस??

राजस्थान आवासन मंडल के वृत्त तृतीय में स्थित 4 दुकानों 3/SC/34,35,36,37 शोपिंग सेंटर,इंदिरा गाँधी नगर,जगतपुरा को मिलाकर बनाया जा रहा अवैध काम्प्लेक्स!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान आवासन मंडल के वृत्त तृतीय में स्थित 3/SC/34,35,36,37 शोपिंग सेंटर,इंदिरा गाँधी नगर,जगतपुरा की 4 दुकानों को मिलाकर बिना पुनर्गठन करवाए,बिना नक़्शे पास करवाए,बिना भवन विनियमों की पालना किये बेसमेंट सहित 6 मंजिला अवैध काम्प्लेक्स बनाया जा रहा है|जानकारों के अनुसार यह दुकाने जन संपर्क विभाग के एक PRO के नजदीकी रिश्तेदार की है,जो कि वर्तमान में शहर के एक नगरीय निकाय में जन संपर्क अधिकारी के रूप में तैनात है जो अपने रसुखातों के चलते इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण करवा रहा है|

राजस्थान आवासन मंडल की जमीने औने पौने दामों में बेचकर भ्रष्टाचार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले और टटपुंजे अख़बारों को विज्ञापनों की रेवड़ी बांटने वाले राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा के पास अवैध निर्माणों को रोकने का समय नहीं|

जैसा कि आपको ज्ञात है कि जमीन के कामों से जुड़े विभागों जैसे जे.डी.ए.,RHB,राजस्व आदि में भ्रष्टाचार चरम पर है यही कारण है कि वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री काल में राजस्थान आवासन मंडल को बंद करने तक की नौबत आ गयी थी| लेकिन माननीय अशोक गहलोत द्वारा राज्य की बागडोर सँभालने पर वर्तमान नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल द्वारा इस विभाग का जिम्मा RAS से IAS बने पवन अरोड़ा को सौंपा गया|देखते ही देखते पवन अरोड़ा ने योजना बना कर RHB की जमीनों और संपत्तियों को बेचने का गौरख धंधा शुरू किया इसके लिए सुनियोजित तरीके से जन हित और राजस्व हित की आड़ लेकर औने पौने दामों में विभिन्न स्कीमे बना कर यह कारनामा शुरू किया यह महाशय अब तक करोडो की सरकारी जमीन कोडियों के दामों में बेच चुके है| यही नहीं सरकारी पैसो को ठिकाने लगाने के लिए इन महाशय ने विभाग की विज्ञापन निति में भी गड़बड़झाले कर टटपुंजे और दोयम दर्जे के समाचार पत्रों-पत्रिकाओ,NGO को लाखो-करोडो रुपयों की बंदरबांट शुरू कर दी है|इस काम के लिए बाकायदा अपने विश्वास-पात्र दलालों,अधिकारीयों और कर्मचारियों की टीम भी बना ली है|

विभाग में हो रही इस बंदरबांट की खबर मंत्रीजी को भी लग चुकी है इसलिए विभाग के काम पर नजर रखने के लिए वह स्वयं अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज हो गए है|

बहरहाल हम बात अवैध-निर्माणों और अतिक्रमण की कर रहे थे,जमीन और विज्ञापनों की बंदरबांट की कहानी का खुलासा अगले अंकों में करेंगे|जैसा कि ज्ञात है कि प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड की सम्पतियों पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो रखे हैं|सम्पतियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए जेडीए (JDA) और नगर निगम की तर्ज पर हाउसिंग बोर्ड में भी प्रवर्तन शाखा गठित करने पर विचार किया गया| नगरीय विकास मंत्री शांतिधारीवाल ने दिसंबर 2019 में प्रताप नगर में चौपाटी के शिलान्यास के दौरान इसके संकेत भी दिए|इसके बाद में हाउसिंग बोर्ड संचालक मंडल की 10 जून 2020 को हुई बैठक में एनफोर्समेंट ब्रांच के गठन का निर्णय लिया गया. इसके बाद हाउसिंग बोर्ड ने पुलिस मुख्यालय से एनफोर्समेंट ब्रांच के लिए पुलिस अधिकारी-कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर मांगे|

जानकारी के अनुसार, आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने 14 जुलाई 2020 को डीजीपी (DGP) को पत्र लिख प्रतिनियुक्ति पर

पुलिस अधिकारी-कर्मचारी मांगे. इसके बाद डीआईजी कार्मिक एस परिमाला ने गृह विभाग को पत्र लिखकर प्रतिनियुक्ति के आदेश मांगे. हाल ही पांच अक्टूबर को पत्र लिखकर गृह विभाग से मंजूरी मांगी गई है|

एनफोर्समेंट ब्रांच में मुख्यालय और मंडल-वृत्त स्तर पर अधिकारी कर्मचारी मांगे. मुख्यालय स्तर पर एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, चार कांस्टेबल जिनमें कम से कम 1 महिला कॉन्स्टेबल हो. मंडल- वृत्त कार्यालय स्तर पर 9 प्रवर्तन शाखाएं गठित की जाएंगी| इनमें जयपुर 3, जोधपुर 2, कोटा, अलवर, बीकानेर, उदयपुर में 1-1 एनफोर्समेंट ब्रांच सहित कुल 9 ब्रांच गठित होगी|कुल मिलाकर पीएचक्यू से एक डीएसपी, दो सीआई और 40 कांस्टेबल मांगे गए हैं| प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव फिलहाल गृह विभाग में विचाराधीन है|

ऐसे में बिना पुलिस के अवैध निर्माणों और अतिक्रमण हटाने से विभाग के अधिकारी कतरा रहे है|

बायलॉज का उल्लंघन लाइलाज • सिद्धार्थ नगर में 355 वर्ग गज में किया निर्माण

एसीबी पीआरओ के परिवार का 'आशियाना' सील किया

सितंबर में नोटिस भेजा तो 8 कमरे थे; अब 32 कमरों का होटल बना

इधर...पीआरएन नॉर्थ में 60 फीट सेक्टर रोड से हटाए अतिक्रमण

इनाम रिपोर्टर | जयपुर

जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने बुधवार को सिद्धार्थ नगर और पीआरएन साऊथ में दो बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग बॉयलाज का उल्लंघन कर बनाई जा रही दो अवैध बिल्डिंगों को सील कर दिया। जेडीए ने सितंबर में जब काम बंद करने का नोटिस भेजा था तो उस समय सिर्फ 2 मंजिल का ही निर्माण हुआ था। जेडीए की टीम ने जब सील की कार्रवाई की तो मौके पर पांच मंजिला होटल बन चुका था। इस होटल में 32 कमरे में बनाए जा चुके हैं। सिद्धार्थ नगर में जो पांच मंजिला अवैध बिल्डिंग प्रवर्तन दस्ते ने सील की वह एसीबी में पदस्थ पीआरओ राजेश यादव के परिवार की है। जेडीए मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन धुवीर सैनी ने बताया कि सिद्धार्थ नगर में प्लॉट नं. बी-14 क्षेत्रफल 355 वर्ग गज में बिना जेडीए की अनुमति के बायलॉज का उल्लंघन कर अवैध बिल्डिंग बनने की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने पर जेडीए एक्ट के तहत नोटिस थमाए गए, लेकिन बावजूद इसके भूखंड निर्माणकर्ता ने रात में काम जारी रखा और पांच मंजिला होटल का निर्माण कर लिया। बुधवार को प्रवर्तन दस्ते ने बिल्डिंग को सील कर दिया। इसके अलावा प्रवर्तन दस्ते ने इस्कॉन रोड पर रतन सागर कॉलोनी में प्लॉट नं.-18 क्षेत्रफल 357 वर्ग गज पर 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग सील की। अवैध निर्माण शिकायत मिलने पर यहां भी नोटिस देकर निर्माण रुकवाया था। इस मामले में अतिरिक्त अधिकरण में स्टे के बावजूद भूखण्डधारी ने मौका पाकर अवैध निर्माण कार्य जारी रखा। स्टे खारिज

पीआरओ की दलील : होटल नहीं, रहने के लिए मकान बना रहा था

इस मामले में एसीबी पीआरओ राजेश यादव का कहना है जिस भूखंड को सील किया गया है, वहां होटल नहीं बल्कि रहने के लिए आवास बनाया जा रहा था। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और परिवार इसमें रहने लगा था। इसके बावजूद जेडीए ने एक पक्षीय कार्रवाई की है। इस भूखंड का पट्टा गुलाब देवी के नाम पर है। इसमें गुलाब देवी अपने परिवार सहित 15 सालों से रह रही हैं। पड़ोसियों की गलत शिकायत पर जेडीए ने बिल्डिंग को सील किया है। जेडीए ने जिस वक्त सीलिंग की कार्रवाई की तब मकान में महिलाएं थीं। इसके बावजूद मकान सील करना गलत है। उनका कहना है कि हमने कुछ माह पहले पड़ोस में भूखंड पर कब्जा कर अवैध कामर्शियल बिल्डिंग बनाने की शिकायत की थी, इस पर जेडीए ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया था, इस वजह से मुझे मेरे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है।

जन संपर्क विभाग के अधिकारी खरीद रहे है आवासन मंडल की जमीने औने पौने दामों में और अपनी धोंस से बनवा रहे है उन जमीनों पर अवैध बिल्डिंगे|

पिछले दिनों आपने समाचार पत्रों में ACB के भ्रष्ट PRO की अवैध बिल्डिंग के बारे में पढ़ा होगा यह तो केवल एक उदाहरण है ऐसे कई PRO जो राज्य के महत्वपूर्ण विभागों में लगे हुए है आवासन मंडल की जमीने औने पौने दामों में खरीद कर,उन पर अवैध बिल्डिंगे बनाने के काले धंधो में लिप्त है|ऐसे ही एक महाशय है जो कि जयपुर में एक नगर निकाय में तैनात है और अपने पद की धौंस से इस अवैध बिल्डिंग को बना रहे है|

जवाब मांगते सवाल?

1. कौन है जन संपर्क विभाग का यह PRO जो अपने पद की धौंस से 4 दुकानों को मिलाकर अवैध काम्प्लेक्स बना रहा है?
2. यह चार दुकाने उसके किस नजदीकी रिश्तेदार के नाम है?कैसे खरीद की गयी थी इन चार दुकानों की?और कितनी दुकाने है इंदिरा गाँधी नगर में इस परिवार की?
3. कहाँ पर तैनात है वर्तमान में यह PRO?कितनी वैध और अवैध संपत्ति है इस PRO और उसके नजदीकी रिश्तेदारों के पास?
4. यह काम्प्लेक्स वैध है या अवैध?भवन मालिक द्वारा किसकी अनुमति से इस अवैध काम्प्लेक्स का निर्माण करवाया गया है?क्या इस अवैध काम्प्लेक्स के नक़्शे पास है?
5. आखिर कब आवासन मंडल के अधिकारी इन अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाएंगे?
6. यह मामला हमारे द्वारा आवासन मंडल के आला अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बावजूद आज दिन तक इस अवैध निर्माण को सील क्यों नहीं किया गया?
7. यदि ऐसे ही अवैध काम्प्लेक्स बनते गए तो RHB की दुकानों को कौन खरीदेगा?
8. क्या पवन अरोड़ा के संज्ञान में लाने के बाद इस अवैध काम्प्लेक्स को तोडा जायेगा?